



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102021-230525
CG-DL-E-19102021-230525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3965]
No. 3965]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4314(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-116 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 552 विस्तार) के कि.मी. 76 पर के भू-खण्ड पर आर.ओ .बी के निर्माण और विस्तार (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-116 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-552 विस्तार) के कि.मी. 76 पर के भू-खण्ड पर आर.ओ.बी. के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: सवाईमाधोपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सवाईमाधोपुर					
गांव का नाम: आलनपुर					
1	1	सरकारी(सा. नि. विभाग)	गै.मु.आबादी	1.0100000(हेक्टेयर)	1.0100000
2	15/3039	सरकारी(रेलवे विभाग)	गै.मु.रेलवे	0.0216000(हेक्टेयर)	0.0216000
3	18	सरकारी(रेलवे विभाग)	गै.मु.रेलवे	0.0360000(हेक्टेयर)	0.0360000
4	33	सरकारी(सा. नि. विभाग)	गै.मु.सड़क	0.0144000(हेक्टेयर)	0.0144000
5	34	सरकारी(सा.नि. विभाग)	गै.मु.सड़क	0.0180000(हेक्टेयर)	0.0180000
6	9	सरकारी(रेलवे विभाग)	गै.मु.रेलवे	0.0315000(हेक्टेयर)	0.0315000
7	913	सरकारी(सा. नि. विभाग)	गै.मु.सड़क	0.2520000(हेक्टेयर)	0.2520000
8	914	सरकारी(नगर पालिका सवाई माधोपुर)	गै.मु.आबादी	0.0840000(हेक्टेयर)	0.0840000
9	915	सरकारी(यु. आई. टी.)	गै.मु.रास्ता	0.0056000(हेक्टेयर)	0.0056000
10	917	निजी	बारानी १	0.0224000(हेक्टेयर)	0.0224000
11	918	सरकारी(नगर पालिका सवाई माधोपुर)	गै.मु.आबादी	0.0630000(हेक्टेयर)	0.0630000
12	918/3048	सरकारी(यु.आई.टी.)	गै.मु.रास्ता	0.0084000(हेक्टेयर)	0.0084000
13	919	सरकारी	गै.मु.कॉलेज	0.0105000(हेक्टेयर)	0.0105000
14	922	सरकारी(सा. नि. विभाग)	गै.मु.सड़क	0.0248000(हेक्टेयर)	0.0248000
15	923	सरकारी(सा. नि. विभाग)	गै.मु.पाटी	0.0108000(हेक्टेयर)	0.0108000

16	924	सरकारी(सा.नि.विभाग)	गै.मु सड़क	0.0072000(हेक्टेयर)	0.0072000
कुल				1.6202	1.6202

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2019-20/43/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2021

S.O. 4314(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of R.O.B. at Km. 76 on old NH No. 116 (New NH 552 Extn.) in the District of SAWAI MADHOPUR in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Sawai Madhopur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on the stretch of land on National Highway No. 116 (New NH 552 Extn.) for R.O.B. at Km. 76 in the District of SAWAI MADHOPUR in the State of Rajasthan.

State: RAJASTHAN		District: SAWAI MADHOPUR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Sawai Madhopur					
Village: Alanpur					
1	1	Government(P.W.D.)	G.M.Aabadi	1.0100000(Hectare)	1.0100000
2	15/3039	Government(Railway Department)	G.M.Railway	0.0216000(Hectare)	0.0216000
3	18	Government(Railway Department)	G.M.Railway	0.0360000(Hectare)	0.0360000
4	33	Government(P.W.D.)	G.M.Sadak	0.0144000(Hectare)	0.0144000
5	34	Government(P.W.D.)	G.M.Sadak	0.0180000(Hectare)	0.0180000
6	9	Government(Railway Department)	G.M.Railway	0.0315000(Hectare)	0.0315000
7	913	Government(P.W.D.)	G.M.Sadak	0.2520000(Hectare)	0.2520000
8	914	Government(Nagar Palika Sawai madhopur)	G.M.Aabadi	0.0840000(Hectare)	0.0840000

9	915	Government(U.I.T.)	G.M.Rasta	0.0056000(Hectare)	0.0056000
10	917	Private	Barani 1	0.0224000(Hectare)	0.0224000
11	918	Government(Nagar Palika Sawai Madhopur)	G.M.Aabadi	0.0630000(Hectare)	0.0630000
12	918/3048	Government(U.I.T.)	G.M.Rasta	0.0084000(Hectare)	0.0084000
13	919	Government	G.M.College	0.0105000(Hectare)	0.0105000
14	922	Government(P.W.D.)	G.M.Sadak	0.0248000(Hectare)	0.0248000
15	923	Government(P.W.D.)	G.M.Pati	0.0108000(Hectare)	0.0108000
16	924	Government(P.W.D.)	G.M.Sadak	0.0072000(Hectare)	0.0072000
Total				1.6202	1.6202

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2019-20/43/3A]

RAJESH GUPTA, Director